भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1612

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना का आरंभ

1612. श्री अनुराग शर्मा: श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री दामोदर अग्रवाल: श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत: श्री बलभद्र माझी:
श्री अरुण गोविल: श्री खगेन मुर्मु:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना शुरू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए पात्रता मानदंड और कार्यान्वयन तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई पारस्परिक ऋण गारंटी योजनाओं के तहत दुरुपयोग या कपटपूर्ण दावों की जांच के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने हेतु नए आयकर अधिनियम में विशिष्ट सरलीकरण शुरू करने की संभावना है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एमएसएमई के लिए म्यूच्यूअल ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत किए गए 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

(ख): एमएसएमई के लिए म्यूच्यूअल ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:-

i. यह वैध उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ एक एमएसएमई होना चाहिए;

ii. इसमें किसी भी ऋणदाता के साथ एनपीए नहीं होना चाहिए;

iii. उपकरण / मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% हो;

इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाए विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है,द्वारा किया जा रहा है। एमएलआई पात्र उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करेगा और फिर शुल्क के भुगतान के साथ एनसीजीटीसी के पोर्टल पर ऋण खाते का विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके पश्चात एमएलआई को इस योजना के अतंर्गत ऋण की गारंटी दिए जाने की पुष्टि प्राप्त होगी।

(ग): इस योजना के अतंर्गत केवल पात्र उधारकर्ताओं को ही सक्षम बनाने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। निपटान से पहले दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा दावों का सत्यापन किया जाएगा और केवल पात्र उधारकर्ताओ को ही वांछित सहायता मिलेगी।

(घ) और (ड़): सरकार द्वारा हाल ही में छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए निम्नानुसार सुविचारित प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न उपाय किए गए हैं:-

i. आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 44 क घ और धारा 44 क से ड़ के अतंर्गत व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान के प्रावधान।
ii. अधिनियम की धारा 44 क ख के अतंर्गत व्यवसायों के लिए कर लेखा परीक्षा का प्रावधान।
iii. अधिनियम की धारा 206 ग के अतंर्गत विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस को हटाकर अनुपालन बोझ में कमी का प्रावधान।
iv. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अतंर्गत स्रोत (टीडीएस) दरों पर कर कटौती का युक्तिकरण।
v. आयकर अधिनियम का सरलीकरण प्रस्तावित है।

नए आयकर विधेयक 2025 में प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाने का प्रस्ताव है। अनावश्यक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है और नए विधेयक की प्रारूपण शैली सीधी और स्पष्ट है।

*****